न्यायालय—प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।

एन.डी.पी.एस. जी0आर0 नं0—15 / 2023
हाजीपुर नगर थाना कांड सं0—116 / 2023
U/S- 8(C)/21(b)/22 NDPS Act.

06.07.2023 दिनांक 17.02.2023 से काराधीन अभियुक्त अमन राज की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार द्वारा नविन अधिकार पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया। जिस जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक पु.अ.नि. विकाश कुमार नगर थाना द्वारा टंकित आवेदन थानाध्यक्ष नगर थाना को इस आशय का दिया गया कि दिनांक 16.02.2023 को 14 बजे गुप्त सूचना मिला कि सिढ़ीघाट के पास अमन राज चोरी छिपे ब्राउन सुगर लोगो को बेच रहे है, इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुये निर्देशानुसार दिवा गश्ती दल के साथ सिढ़ीघाट पहुॅचे कि एक व्यक्ति पुलिस बल को देखते ही भागने लगा। संदेह होने पर बल के सहयोग से भाग रहे व्यक्ति को खदेड़ कर पकड़ा गया, पकड़ाये व्यक्ति से भागने का कारण पुछने पर बताया कि उसके पास ब्राउन सुगर है जिसे छोटा छोटा पुड़िया मे लपेटकर बेचता है। पकड़ाये व्यक्ति का नाम पुछने पर अपना नाम अमन राज बताया। पकड़ाये व्यक्ति को एन.डी.पी.एस. की धारा 50 से अवगत कराया गया। पकड़ाये व्यक्ति से पुछने पर बताया कि वह राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष तलासी देगा। तत्पश्चात् इसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को एवं अंचलाधिकारी महोदय को दिये। समय करीब 03:20 बजे अंचलाधिकारी महोदय सदर घटना स्थल पर पहुॅचे। उपस्थित लोगो को स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया गया किंतु कोई तैयार नही हुए तब अपने दल से दो व्यक्ति को स्वतंत्र साक्षी बनाया गया। पकड़ाये व्यक्ति की तलासी लेने पर उसके पहने हुए पैन्ट के दॉये पॉकेट से उजला रंग के कागज मे लपेटा हुआ कुल 15 पुड़िया बरामद हुआ जिसको खोलकर देखने पर मटमैला रंग का ब्राउन सुगर जैसा पाउडर पाया गया। इस संबंध मे पुछने पर कोई संतोषजनक जबाब नही दिया गया। बरामद ब्राउन सुगर का वजन करने

ADJ1 VAISHALI
Copy not official

न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।
एन.डी.पी.एस. जी0आर0 नं0–15/2023
हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–116/2023
U/S- 8(C)/21(b)/22 NDPS Act.

पर कागज सहित वजन 12.760 ग्राम पाया गया।

कारांधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक दिनांक 17.02.2023 से काराधीन है। आवेदक की ओर से पूर्व मे कोई जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दाखिल नही किया गया है। आवेदक विद्यार्थी है तथा उसे पुलिस द्वारा घर से गिरफ्तार किया गया है। आवेदक के पास से कोई भी ब्राउन सुगर अथवा अवैध मादक पदार्थ बरामद नही किया गया है। आवेदक की माता कैंसर रोग से पिड़ित है और आवेदक एकलौता संतान है तथा आवेदक की मॉ विधवा है। इस संबंध मे महावीर कैंसर संस्थान पटना के डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोश है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदक को जमानत देने की कृपा की जाए।

जमानत आवेदन पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक को 12.760 ग्राम अवैध ब्राउन सुगर के साथ गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आवेदक द्वारा किया गया कार्य गंभीर प्रकृति का है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना, अभिलेख, कांड दैनिकी तथा प्राथमिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर आवेदक को 12.760 ग्राम अवैध ब्राउन सुगर के साथ पुलिस पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभिलेख पर तलासी सह जब्ती सूची संलग्न है। वाद दैनिकी की कंडिका 5 मे वादी के पुनः बयान का उल्लेख किया गया है। कंडिका 6, 7, 8 एवं 9 के साक्षीगण ने प्राथमिकी का समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 18 मे आवेदक के अपराधिक इतिहास का

Web Copy not official
ADJ I VAISHALI

न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।

एन.डी.पी.एस. जी0आर0 नं0–15 / 2023
हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–116 / 2023
U/S- 8(C)/21(b)/22 NDPS Act.

उल्लेख किया गया है जिसमे नगर थाना कांड सं0– 737 / 2020 धारा 394 भा. द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 21 मे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, हाजीपुर के पर्यवेक्षण टिप्पणी का उल्लेख किया गया है जिसमे आवेदक के विरूद्ध घटना को सत्य पाया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 26 के प्रस्तुत कांड मे जब्त मादक प्रदर्श के जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला त्रिरहुत, क्षेत्र मुजफ्फरपुर भेजने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत वाद मे आरोप पत्र सं0–214 / 2023 दिनांक 29. 03.2023 को आवेदक के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर धारा 8(C)/21(b)/22 NDPS Act. के अंतर्गत समर्पित किया गया है तथा अन्य बिन्दुओ पर पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। प्रस्तुत कांड मे दिनांक 12.04.2023 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 21(b)/22 NDPS Act. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है तथा अभिलेख को विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 19.04.2023 को स्थानांतरण किया गया है। अभिलेख पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट अप्राप्त है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु विद्वान विशेष लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को निर्देशित किया गया है। वर्तमान मे अभिलेख आरोप गठन हेतु नियत है। आवेदक के पास से 12.760 ग्राम अवैध ब्राउन सुगर बरामद किया गया है, आवेदक के द्वारा किया गया कार्य गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियो के अवलोकन से आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

फलस्वरूप आवेदक अमन राज की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** जाता हैं।

(Deepak Kumar Singh)
Addl. Sessions Judge-I
Vaishali at Hajipur
06-07-2023

Copy not official
ADJ VAISHALI